30.8.2022

आज यह पत्रावली वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर पेश में ली गई। वादी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अनवानी दावा में लोक अदालत की भावना से व समाज के व्यक्तियों द्वारा समझाने से आपस में समझौता होने से वाद को आगे चलाना नहीं चाहते है। अतः उक्त दावा को आज ही जरिये डिक्री करने की अनुमति दी जाकर पत्रावली का निस्तारण कर दिया जावे। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के आधार पर वादी वाद जरिये डिक्री खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार कर खारिज किया जाता है। वाद खर्चा उभय पक्ष अपना अपना वहन करेंगे।

रामाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:23:11 IST
Reason: SelfAttested